प्रेषक,

जनपद न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक– 1297 /पन्द्रह दिनांक–28–08–2020

विषय– Mechanism/Modalities for functioning of District Court & Outlying Courts, Shahjahanpur, not falling under Containment Zone during COVID-19 pandemic.

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि माननीय न्यायालय के पत्र संख्या–1117/LXXXVII–सी0पी0सी0/ई–कोर्ट्स/इलाहाबाद/दिनांकित 03 जून, 2020 तथा पत्र संख्या–1293/LXXXVII–सी0पी0सी0/ई–कोर्ट्स/इलाहाबाद/दिनांकित 16 जुलाई, 2020 के अनुपालन के सन्दर्भ में कोरोना समिति, जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर को दैनिक कार्यवाही की रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में कोरोना समिति द्वारा आज दिनांक 28–08–2020 को आख्या अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

उक्त आख्या की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर माननीय न्यायालय के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित की जा रही है।

दिनांक– 28–08–2020
संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

28/08/2020
जनपद न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।

प्रेषक,

कोरोना समिति,

जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,

शाहजहाँपुर।

विषयः कोरोना वायरस के प्रसार के खतरे को रोकने के लिए निवारक एवं उपचारात्मक प्रयास करने के सन्दर्भ में दैनिक कार्यवाही की आख्या प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या- 1117/LXXXVII–CPC/e-Courts/Allahabad/ दिनांकित 03.06.2020 तथा पत्र संख्या- 1293/LXXXVII–CPC/e-Courts/Allahabad/ दिनांकित 16.07.2020 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में माननीय महोदय के प्रशासनिक आदेश संख्या-121/2020 दिनांकित 04.06.2020 तथा प्रशासनिक आदेश संख्या-138/ 2020 दिनांकित 17.07.2020 के अनुपालन में कोरोना समिति द्वारा कोरोना वायरस के प्रसार के खतरे को रोकने के लिये निवारक एवं उपचारात्मक प्रयासों तथा न्यायालयों की कार्यवाही के सम्बन्ध में आज **दिनांक 28.08.2020** को सम्पादित कार्यों का विवरण निम्नवत् है:-

1. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी कार्यालय के पत्रांक संख्या 412/ कोविड-19/2020-2021 दिनांकित 28.08.2020 द्वारा अवगत कराया गया कि **जनपद न्यायालय शाहजहाँपुर, बाह्य न्यायालय तिलहर, पुवायां एवं जलालाबाद का परिक्षेत्र कन्टेनमेंट जोन से बाहर है।**
2. **कल सायं दिनांक-27.08.2020 को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/ विशिष्ट न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट), न्यायालय संख्या-04 ने अपने पत्र दिनांकित 27.08.2020 द्वारा अवगत कराया कि न्यायालय संख्या-04 के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री इन्द्रभान सिंह दिनांक 27.08.2020 को कोरोना संक्रमित पाये गये हैं और श्री सिंह आज दिनांक 27.08.2020 को कार्यालय में उपस्थित भी थे। साथ ही महासचिव, सेन्ट्रल बार एसोसिएशन, शाहजहांपुर ने अपने पत्र दिनांकित 27.08.2020 द्वारा अवगत कराया कि अधिवक्ता श्रीमती रीता रानी गुप्ता कोरोना संक्रमित पायी गयी हैं और वह नियमित रूप से न्यायालय आती हैं। उक्त की पुष्टि जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर ने अपने कार्यालय पत्रांक-411/कोविड-19/2020-2021, दिनांकित 27.08.2020 तथा मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहांपुर ने अपने कार्यालय पत्रांक-मु.चि.अ./कोविड-19/2020-21/3147, दिनांकित 27.08.2020 द्वारा करते हुए यह अवगत कराया कि मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन, (गोपन अनुभाग-3), लखनऊ, दिनांकित-06.05.2020 तथा प्रमुख सचिव, उ.प्र. शासन, चिकित्सा अनुभाग-5 के पत्र संख्या- 902/पांच-5-2020, दिनांकित- 31.05.2020 के निर्देशानुसार सम्बंधित कार्यस्थल को 24 घंटे के लिये पूर्णतया बंद कराकर दो बार विसंक्रमित किये जाने की आवश्यकता है। तदैव माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या- 1117/LXXXVII–CPC/e-Courts/Allahabad/ दिनांकित 03.06.2020 के अनुपालन तथा उपरोक्त आख्याओं के अनुसार माननीय जनपद न्यायधीश, शाहजहाँपुर के प्रशासनिक आदेश संख्या-173/2020, दिनांक-27.08.2020 द्वारा आज दिनांक 28.08.2020 को सम्पूर्ण जनपद न्यायालय परिसर को 24 घंटे के लिये पूर्णतया बंद कराकर जिला प्रशासन एवं नगर निगम से समन्वय स्थापित करके मानक के अनुरूप सम्पूर्ण न्यायालय परिसर को दिन में दो बार सेनेटाइज कराकर विसंक्रमित कराया गया है। (सुलभ सन्दर्भ हेतु आदेश कि प्रति संलग्न है)**
3. **आज दिनांक 28.08.2020 को माननीय जनपद न्यायधीश, शाहजहाँपुर के प्रशासनिक आदेश संख्या-173/2020, दिनांक-27.08.2020 के अनुपालन में जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर (मुख्यालय) को 24 घंटे के लिये पूर्णतया बंद कराकर विसंक्रमित कराया गया।** बाह्य न्यायालय तिलहर, पुवायां एवं जलालाबाद के परिसर का उचित रीति से सेनेटाइजेशन कराया गया है।
4. **माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या- 1298/LXXXVII–CPC/e-Courts/Allahabad/ दिनांकित 28.07.2020 में दिये गये निर्देशों के अनुसार माननीय जनपद न्यायधीश, शाहजहाँपुर के प्रशासनिक आदेश संख्या-147/2020,**

दिनांक-29.07.2020 तथा प्रशासनिक आदेश संख्या-162/2020, दिनांक-13.08.2020 के अनुपालन में उक्त आदेश में उल्लिखित जनपद मुख्यालय के न्यायालयों में आदेश में वर्णित प्रकृति के वादों की सुनवाई सम्बंधित न्यायिक अधिकारियों द्वारा अपने-अपने आवासीय कार्यालयों से वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से सम्पादित की गयी। आदेश में उल्लिखित न्यायालयों के अतिरिक्त मुख्यालय के अन्य सभी न्यायालय माननीय जनपद न्यायधीश, शाहजहाँपुर के प्रशासनिक आदेश संख्या-173/2020, दिनांक-27.08.2020 के अनुपालन में बंद रहे तथा वाह्य न्यायालय, तिलहर के न्यायिक अधिकारी सिविल जज, (जू.डि.) कोरोना संक्रमित होने के कारण होम आइसोलेशन में उपचाराधीन हैं। वाह्य न्यायालय, जलालाबाद रिक्त है। वाह्य न्यायालय, पुवायां व तिलहर में कार्य सम्पादित करने वाले न्यायालयों में कुल 01 न्यायिक अधिकारी तथा 24 कर्मचारी उपस्थित आयें है।

5. **माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या- 1306/LXXXVII–CPC/e-Courts/Allahabad/ दिनांकित 19.08.2020 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुपालन ने कार्य योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिये न्यायिक अधिकारीयों, पुलिस प्रशासन, जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) तथा संयुक्त निदेशक अभियोजन आदि के साथ दिनांक 20.08.2020 को की गयी बैठक में निर्णय लिया गया कि अर्जेंट प्रकृति के फौजदारी मामलों की सुनवाई के पूर्व समस्त अभियोजन प्रपत्रों की कंप्यूटरीकृत प्रतियाँ (सॉफ्ट कॉपी) सम्बंधित थानों द्वारा सम्बंधित को ई-मेल पर प्राप्त करायीं जायेंगी। (बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है)**
6. जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर की समर्पित (dedicated) ई-मेल आई.डी. **districtcourtspn@gmail.com** है। इस ई-मेल आई.डी. पर आज दिनांक 28.08.2020 को कोई भी आवेदन पत्र, जमानत प्रार्थनापत्र, बहस इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. विचाराधीन बन्दियों का रिमाण्ड कार्य आदि केवल वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से ही किया जा रहा है और किसी भी बन्दी को सुनवाई हेतु न्यायालय नहीं बुलाया जा रहा है।
8. माननीय जनपद न्यायधीश, शाहजहाँपुर के प्रशासनिक आदेश संख्या-147/2020, दिनांक-29.07.2020 तथा प्रशासनिक आदेश संख्या-162/2020, दिनांक-13.08.2020 में उल्लिखित न्यायालयों द्वारा आज की तिथि पर विचारित किये गये वादों की संख्या तथा उनके द्वारा निस्तारित वादों की संख्या इस अनुपालन आख्या के साथ सारणी रूप में संलग्न की जा रही है।

उपरोक्तानुसार समिति की दैनिक अनुपालन आख्या माननीय महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत है।

दिनांकः 28.08.2020
संलग्नकः यथोक्त

28.08.2020

(सौरभ द्विवेदी)
सदस्य,
कोरोना समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

(सुरजन सिंह)
सदस्य,
कोरोना समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

28.8.2020
(किरन पाल सिंह)
अध्यक्ष,
कोरोना समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

(रमेश चन्द्र मिश्रा)
सदस्य,
कोरोना समिति/
प्रभारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

28/8/2020
(कुलदीप कुमार)
सदस्य,
कोरोना समिति/
न्यायालय प्रबन्धक,
जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

Seen.
28/08/2020.

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
शाहजहाँपुर।

सेवा में,

अध्यक्ष,
कोरोना समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।

संख्या 412 /कोविड–19/2020–2021 दिनांक 28 अगस्त,2020

विषय : **कोरोना वायरस के प्रसार के खतरे के दृष्टिगत जनपद मुख्यालय शाहजहाँपुर एवं तहसील तिलहर, पुवायाँ व जलालाबाद की जोन की स्थिति की रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–702/XV दिनांक 21 मई, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें कोरोना वायरस के प्रसार के खतरे के दृष्टिगत जनपद मुख्यालय शाहजहाँपुर एवं तहसील तिलहर, पुवायाँ व जलालाबाद की जोन की स्थिति की दैनिक आख्या प्रतिदिन उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के क्रम में सादर अवगत कराना है कि भारत सरकार की नयी गाइड लाइन्स के अनुसार जनपद न्यायालय परिसर तथा वाहृय न्यायालय तिलहर, पुवायाँ व जलालाबाद का परिक्षेत्र कन्टेनमेन्ट जोन से बाहर है।

तदनुसार सूचनार्थ सादर प्रेषित।

भवदीय

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
नोडल अधिकारी
शाहजहाँपुर।

28.8.20

Office of District & Sessions Judge, Shahjahanpur.

Administrative Order No. 173 /2020

It has been intimated by the Corona Committee, District Court, Shahjahanpur vide report dated 27.08.2020 at 07.00 PM, that **Sri Indra Bhan Singh (Class-IV employee) and Smt. Rita Rani Gupta (Advocate)**, was found COVID-19 positive. Employee Sri Indra Bhan Singh was present in A.D.J. Court No.04 today. As soon as the information received, looking the gravity of the information, a report was called from the CMO, Shahjahanpur and the District Magistrate, Shahjahanpur for confirmation. The Office of the District Magistrate Shahjahanpur vide letter no. 411/COVID-19/2020-2021 dated 27.08.2020, CMO's letter no. CMO/COVID-19/2020-21/3147 dated 27.08.2020 have confirmed that employee named Sri Indra Bha Singh and advocate Smt. Rita Rani Gupta have been found CORONA (COVID-19) Positive.

The Chief Medical Officer, Shahjahanpur and Corona Committee District Court, Shahjahanpur have also opined that as per directions of U.P. Govt., detailed in letter no. 902/five-5 2020 Dated 31.05.2020 of Sri Amit Mohan Prasad, Principal Secretary of U.P. Govt., Chikitsa Anubhag-05 and G.O.No.1431/2020/CX-3 dated 06.06.2020 of Sri Rajendra Tiwari, Chief Secretary of U.P. Govt., the court should be closed for 24 hours and the entire court campus should be sanitized and disinfected twice.

In compliance of the guidelines issued by the Hon'ble High Court vide letter no. 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated: 03 June 2020 and considering the reports of the District Magistrate as well as the CMO, Shahjahanpur, I am also of the opinion that to prevent the spread of COVID-19, among employees, advocates, litigents and other stake-holders, the comprehensive sanitisation, disinfection and cleaning of the court campus as per medical protocol would be on 28.08.2020 and closure of the Court for 24 hours i.e on 28.08.2020 is necessary as per guidelines of Govt. Of U.P.

Hence, the District Court, Shahjahanpur will be closed on 28.08.2020. The Court will re-opened on 31.08.2020 as usual, after complete sanitisation and cleaning as per medical guidelines and protocol, since court is already closed on 29.08.2020 & 30.08.2020 being saturday & sunday.

All the Officers and official concerned are directed to takeup defined urgent matters on 28.08.2020, in accodance with the mechanism/modalities preferred in administrative order no. 147/2020 dated 29.07.2020 & 162/2020 dated 13.08.2020 in compliance of the Hon'ble High Court's letter no. 1298/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad dated 28.07.2020.

Superintendent of Police, Shahjahanpur to ensure timely submission of prosection records, case diaries etc. to all court concerned through e-mail, in compliance of the letter no. 1306/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad dated 19.08.2020 as discussed in meeting dated 20.08.2020. Nodal Offcer Computer to

ensure the communication of e-mail ids of respective courts to S.P. Shahjahanpur, D.G.C. Criminal and J.D. Prosecution.

The Chairman, Corona Committee of this judgeship, is directed to ensure complete sanitisation, disinfection and cleaning of entire court campus, as per medical guidelines and protocol, with the help of District Administration, CMO and Nagar Nigam etc. Copy of this order be circulated among all the Judicial Officers of this Judgeship and the Nodal Officer, Computer to upload this order on the District Court website.

Civil Judge (J.D.) Shahjahanpur shall hear and dispose off urgent Civil and Criminal matters relating to outlying court of Civil Judge (J.D.) Jalalabad and Tilhar, **on 28.08.2020**, through video conferencing as directed earlier.

A copy of this order be send to the Hon'ble High Court for information.

Secretary, D.L.S.A. Shahjahanpur is directed to widely publicize this order amongst all stake holders through print media etc.

Inform all concerned accordingly.

RBSharma 27/08/2020

Date: 27.08.2020

(Ram Babu Sharma)
District Judge & Sessions Judge,
Shahjahanpur.

Copy to followings for information and necessary action.

1. The Principal Judge, Family Court, Shahjahanpur.
2. The District Magistrate, Shahjahanpur.
3. The Superintendent of Police, Shahjahanpur.
4. The Cheif Medical Officer, Shahjahanpur.
5. The Nagar Ayukt, Nagar Nigam, Shahjahanpur.
6. The President, Central Bar Association, Shahjahanpur.
7. The Superintendent, District Jail, Shahjanpur.
8. The District Information Officer for publication in news papers.
9. The D.G.C.Criminal and J.D.Prosecution Shahjahanpur.

RBSharma, 27.08.2020

Date: 27.08.2020

(Ram Babu Sharma)
District Judge & Sessions Judge,
Shahjahanpur.

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या-1306/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad दिनांकित **19.08.2020** में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आयोजित <u>बैठक दिनाँकित **20.08.2020** का कार्यवृत्त</u>

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पत्र संख्या-1306/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad दिनांकित 19.08.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुपालन में कार्य योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए समन्वय हेतु आज दिनांक 20.08.2020 को समय 04:00 बजे सायं अधोहस्ताक्षरी के विश्राम कक्ष में बैठक आयोजित की गयी। बैठक के दौरान सामाजिक दूरी एवं अन्य सुसंगत नियमों, जो कि सरकार द्वारा कोरोना प्रसार को रोकने के लिए जारी किये गये हैं, का अनुपालन किया गया।

बैठक में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम श्री नरेन्द्र बहादुर, पुलिस अधीक्षक श्री एस०आनन्द, जनपद न्यायालय की कोरोना समिति के अध्यक्ष श्री किरन पाल सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नोडल अधिकारी कम्प्यूटर्स श्री गोपाल उपाध्याय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री ओमवीर सिंह, अपर जिलाधिकारी श्री रामसेवक द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक नगर श्री संजय सिंह, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती अपर्णा गौतम, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री अनुज सिंह, संयुक्त निदेशक अभियोजन श्री रणधीर सिंह उपस्थित आये।

बैठक के दौरान माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या-1306/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad दिनांकित 19.08.2020, पत्र संख्या-1298/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad दिनांकित 28.07.2020 तथा पत्र संख्या-1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad दिनांकित 03.06.2020 पर चर्चा की गयी।

वर्तमान में कोरोना महामारी के प्रसार के दृष्टिगत जनपद न्यायालय की कार्यवाहियॉ माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या-1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad दिनांकित 03.06.2020 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में संचालित की जा रही हैं। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त पत्र के प्रस्तर 14 के अनुसार न्यायालय परिसर के कन्टेनमेन्ट जोन में आने के आधार पर न्यायालय परिसर के बन्द होने अथवा प्रस्तर 15 के अनुसार न्यायालय परिसर में किसी व्यक्ति के कोरोना संक्रमित पाये जाने की दशा में न्यायालय परिसर के सीमित अवधि के लिये बन्द होने पर माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या-1298/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad दिनांकित 28.07.2020 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सम्बन्धित न्यायालयों द्वारा वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से अर्जेन्ट प्रकृति के मामलों की सुनवाई न्यायिक अधिकारियों द्वारा आवासीय कार्यालय से की जा रही है। फौजदारी प्रकृति के अर्जेन्ट मामलों की सुनवाई के दौरान अभियोजन प्रपत्र ससमय उपलब्ध नहीं हो पाते हैं।

साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अर्जेन्ट प्रकृति के मामलों की वीडियो कान्फ्रेन्सिंग से सुनवाई के दौरान सभी अभियोजन प्रपत्रों की भौतिक प्रतियों के स्थान पर कम्प्यूटरीकृत प्रतियॉ (सॉफ्ट कॉपी) प्रयोग करने तथा आवासीय कार्यालयों पर अभिलेखों एवं कर्मचारियों के न्यूनतम संचलन का निर्देश दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह भी निर्देश दिया गया है कि अभियोजन प्रपत्रों (जैसे - एफ०आई०आर०, रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 173 सी०आर०पी०सी०, नक्शा नजरी, आघात आख्या, शव विच्छेदन आख्या, बयान साक्षीगण, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्टें एवं अन्य अभियोजन प्रपत्र) की कम्प्यूटरीकृत प्रतियॉ (सॉफ्ट कॉपी) नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायें। वर्तमान में पुलिस विभाग द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की कम्प्यूटरीकृत प्रतियॉ (सॉफ्ट कॉपी) उपलब्ध नहीं करायी जा रही हैं। तत्सम्बन्ध में कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु विस्तार से चर्चा की गयी।

नोडल अधिकारी कम्प्यूटर द्वारा सुझाव दिया गया कि जनपद न्यायालय में वादों के कम्प्यूटरीकरण के लिए सी०आई०एस० सॉफ्टवेयर प्रयोग में लाया जा रहा है। किसी फौजदारी मामले में आरोपपत्र/अन्तिम रिपोर्ट दाखिल होने के उपरान्त जब उसे सी०आई०एस० पर फीड किया जाता है, तो वह पुलिस विभाग के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आई०सी०जे०एस० से उस मामले से सम्बन्धित कम्प्यूटरीकृत अभियोजन प्रपत्रों को समायोजित/लिंक कर लेता है, परन्तु उक्त ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में समस्त अभियोजन प्रपत्र एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं होते हैं। किसी मामले में आरोपपत्र/अन्तिम रिपोर्ट दाखिल होने से पूर्व अन्तर्वर्ती स्तर पर सुनवाई की दशा में अभियोजन प्रपत्रों की कम्प्यूटरीकृत प्रतियॉ (सॉफ्ट कॉपी) उपलब्ध नहीं हो पाती हैं।

पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी संगत स्तरों पर अर्थात आरोपपत्र/अन्तिम रिपोर्ट दाखिल होने के समय एवं अन्तर्वर्ती स्तर पर अर्जेन्ट प्रकृति के मामलों की सुनवाई के समय, अभियोजन प्रपत्रों की कम्प्यूटरीकृत प्रतियॉ (सॉफ्ट कॉपी) उपलब्ध कराये जाने का आश्वासन दिया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा यह भी आश्वासन दिया गया कि वह प्रत्येक फौजदारी मामले से सम्बन्धित समस्त अभियोजन प्रपत्रों को पुलिस विभाग के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आई०सी०जे०एस० पर ससमय उपलब्ध कराये जाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। प्रत्येक मामले में न्यायालय में आरोपपत्र/अन्तिम रिपोर्ट दाखिल होने के

समय समस्त अभियोजन प्रपत्रों की कम्प्यूटरीकृत प्रतियाँ (सॉफ्ट कॉपी) सी०डी०/पेन ड्राइव में नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेंगी।

अर्जेन्ट प्रकृति के मामलों की वीडियो कान्फ्रेन्सिंग से सुनवाई के लिए समस्त अभियोजन प्रपत्रों की कम्प्यूटरीकृत प्रतियाँ (सॉफ्ट कॉपी) सभी सम्बन्धित न्यायिक अधिकारियों को ऑनलाइन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श के उपरान्त यह तय किया गया कि जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर के सभी न्यायालयों के नाम से ई-मेल आई०डी० तैयार की जाये तथा उसे सभी सम्बन्धित के मध्य परिचालित किया जाये। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं संयुक्त निदेशक अभियोजन से भी उनकी ई-मेल आई०डी० उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी। यह भी तय किया गया कि अर्जेन्ट प्रकृति के फौजदारी मामलों की सुनवाई के पूर्व समस्त अभियोजन प्रपत्रों की कम्प्यूटरीकृत प्रतियाँ (सॉफ्ट कॉपी) सम्बन्धित थाना द्वारा निम्नांकित को ई-मेल से प्राप्त करायी जायेगी।

1. सम्बन्धित न्यायालय की ई-मेल आई०डी० पर
2. जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की ई-मेल आई०डी० पर
3. संयुक्त निदेशक अभियोजन की ई-मेल आई०डी० पर
4. जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर की डेडीकेटेड ई-मेल आई०डी० districtcourtspn@gmail.com पर

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं संयुक्त निदेशक अभियोजन, ई-मेल से प्राप्त होने वाले अभियोजन प्रपत्रों को विभिन्न न्यायालयों में कार्यरत अपने सहयोगियों/ए०डी०जी०सी०/ ए०पी०ओ० को यथारीति उपलब्ध करायेंगे।

उक्त डाटा की सुरक्षा के सम्बन्ध में भी विचार-विमर्श किया गया और यह तय किया गया कि किसी भी फौजदारी मामले से सम्बन्धित सम्पूर्ण अभियोजन प्रपत्रों को पी०डी०एफ० प्रारूप में कम्प्यूटर के एक फोल्डर में रखकर पासवर्ड से सुरक्षित करके प्रेषित किया जायेगा। प्रत्येक फोल्डर का नामकरण, जिला - थाना - अपराध संख्या - वर्ष के अनुसार (for example - SPN Sadar Bazar 101 of 2020), किया जायेगा। फोल्डर के पासवर्ड की जानकारी दूरभाष द्वारा अथवा अन्यथा रीति से संसूचित की जायेगी, परन्तु पासवर्ड की जानकारी ई-मेल के माध्यम से प्रदत्त नहीं की जायेगी।

प्रतिभागी अधिकारियों द्वारा उक्त निर्देशों के अनुपालन में किसी प्रकार की कठिनाई अथवा समस्या से अवगत नहीं कराया गया। बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में सकारात्मक परिणाम के साथ सम्पन्न हुयी।

दिनांक-20.08.2020

(एस० आनन्द)
पुलिस अधीक्षक,
शाहजहाँपुर।

(नरेन्द्र बहादुर)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या-01, शाहजहाँपुर।

(राम बाबू शर्मा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।

(ओमवीर सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शाहजहाँपुर।

(गोपाल उपाध्याय)
नोडल अधिकारी कम्प्यूटर्स/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या-07, शाहजहाँपुर।

(किरन पाल सिंह)
अध्यक्ष कोरोना समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या-04, शाहजहाँपुर।

(अपर्णा गौतम)
पुलिस अधीक्षक ग्रामीण,
शाहजहाँपुर।

(संजय सिंह)
पुलिस अधीक्षक नगर,
शाहजहाँपुर।

(रामसेवक द्विवेदी)
अपर जिलाधिकारी,
शाहजहाँपुर।

(अनुज सिंह)
जिला शासकीय अधिवक्ता फौ०
शाहजहाँपुर।

(रणधीर सिंह)
संयुक्त निदेशक अभियोजन,
शाहजहाँपुर।

सूचना

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 1306/LXXXVII-CPC/eCourts/Allahabad दिनांकित 19.08.2020 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में न्यायिक/प्रशासनिक/पुलिस/अभियोजन अधिकारियों आदि की आयोजित बैठक दिनांकित 20.08.2020 में लिये गये निर्णय के अनुरूप कोरोना महामारी के दृष्टिगत, माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 1298/LXXXVII-CPC/eCourts/Allahabad दिनांकित 28.07.2020 तथा 1117/LXXXVII-CPC/eCourts/Allahabad दिनांकित 03.06.2020 के प्रस्तर 14 व 15 के अनुसार न्यायालय परिसर के कन्टेनमेंट जोन में आने के कारण बन्द होने पर नामित अधिकारीगण द्वारा अपने आवासीय कार्यालय से आवश्यक न्यायिक कार्य किये जाने हेतु सम्बन्धित न्यायालयों की e-mail ID निम्नवत है।

(गोपाल उपाध्याय) 26/8/20
नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर
जनपद न्यायालय, शाह०

S. No.	Name of the Court	E-mail ID
1	District & Sessions Judge	districtjudgespn@gmail.com
2	ADSJ Court no. 1	dcsha.adj1@gmail.com
3	ADSJ Court no. 2	dcsha.adj2@gmail.com
4	ADSJ Court no. 3	dcsha.adj3@gmail.com
5	ADSJ Court no. 4	dcsha.adj4@gmail.com
6	ADSJ Court no. 5	dcsha.adj5@gmail.com
7	ADSJ Court no. 6	dcsha.adj6@gmail.com
8	ADSJ Court no. 7	dcsha.adj7@gmail.com
9	ADSJ Court no. 8	dcsha.adj8@gmail.com
10	ADSJ Court no. 9	dcsha.adj9@gmail.com
11	ADSJ Court no. 10	dcsha.adj10@gmail.com
12	ADSJ Court no. 11	dcsha.adj11@gmail.com
13	ADSJ Court no. 12	Vaccant
14	ADSJ Court no. 13	Vaccant
15	ADSJ / FTC I Court no. 23	dcsha.adjftc1@gmail.com
16	ADSJ / FTC II Court no. 24	dcsha.adjftc2@gmail.com
17	ADSJ Court no. 42	Vaccant
18	ADSJ Court no. 43	dcsha.adj43@gmail.com
19	CJM	dcsha.cjm@gmail.com
20	Civil Judge (S.D)	dcsha.cjsd@gmail.com
21	ACJM I	dcsha.acjm1@gmail.com
22	Civil Judge (S.D)/FTC	dcsha.cjsdftc@gmail.com
23	CJJD	dcsha.cjjd@gmail.com
24	ACJJD	dcsha.acjjd1@gmail.com
25	JM I	dcsha.jm1@gmail.com
26	JM II	dcsha.jm2@gmail.com

Note: उपरोक्त e-mail ID के पासवर्ड सिस्टम ऑफीसर, कम्प्यूटर अनुभाग, शाहजहाँपुर द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं।

NUMBER OF CASES TAKEN UP AND DECIDED CHART

In the compliance of Hon'ble High Courts Letter no. 1298/LXXXVII–CPC/e-Courts/Allahabad, Dated- 28.07.2020 today's NUMBER OF CASES TAKEN UP AND DECIDED are as follows-

SR. NO	NAME OF COURT	NO. OF CASES TAKEN UP	NO. OF APPLICATIONS TAKEN UP	NO. OF APPLICATIONS/ CASES DECIDED	HOW MANY CASES WERE DECIDED BY VIRTUAL COURT	NO. OF APPLICATIONS RECEIVED BY EMAIL TODAY	DAILY STATUS OF REMAND: IN HOW MANY CASES REMAND OF UNDER TRIAL PRISONERS CARRIED OUT	IN HOW MANY CASES JUDICIAL WORK, EXCEPT REMAND OF UNDER TRIAL PRISONERS CARRIED OUT	NO. OF UNDER TRIAL PRISONERS COVERED
									Date-28.08.2020
1	District & Sessions Judge	–	06	–	–	–	–	–	–
2	A.D.S. J. Court No. 2	–	03	–	–	–	–	–	–
3	A.D.S. J. Court No. 3	–	01	–	–	–	–	–	–
4	A.D.S. J. Court No. 4	–	02	–	–	–	–	–	–
5	A.D.S. J. Court No. 8	–	02	–	–	–	–	–	–
6	A.D.S. J. Court No. 9	–	01	–	01	–	–	–	–
7	A.D.S. J. Court No. 5	–	03	–	–	–	–	–	–
8	A.D.S. J. Court No. 43	–	03	–	–	–	–	–	–
9	Chief Judicial Magistrate	–	23	–	01	–	–	–	–
10	Civil Judge (S.D.)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	A.C.J.M- 1	–	02	–	–	–	–	–	–
12	Civil Judge (J.D.)	–	–	–	–	–	–	–	–
	Sub Total (HQ)	–	46	–	02	–	–	–	–
12	Civil Judge (J.D.), Tilhar (Outlying Court)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Addl. Civil Judge (J.D.), Tilhar (Outlying Court)	–	–	–	–	–	–	–	–
	Sub Total (Outlying Court-Tilhar)	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Civil Judge (J.D.), Puwayan (Outlying Court)	16	30	15	–	–	–	46	46
15	Civil Judge (J.D.), Jalalabad (Outlying Court)	–	–	–	–	–	01	–	01
	Sub Total (Outlying Court)	16	30	15	–	–	01	46	47
	Grand Total	16	76	15	02	–	01	46	47